भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 808
06/02/2026 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई के अंतर्गत भुगतान नहीं किया जाना/विलंब से भुगतान किया जाना

808. श्री दिग्विजय सिंहः
श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिकः
श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत दावों के भुगतान न किए जाने या विलंबित भुगतान के संबंध में किसानों से प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या का वर्ष-वार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पीएमएफबीवाई के तहत फसल क्षति आकलन की सटीकता और पारदर्शिता में सुधार के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भुगतान में अनियमितताओं को दूर करने और बीमा कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए योजना में संशोधन पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो फसल बीमा योजना में किसानों का विश्वास बहाल करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने के लिए **कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH)** विकसित किया गया है। एक अखिल भारतीय टोल-फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहां किसान अपनी शिकायतें/समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों/समस्याओं के समाधान के लिए समयसीमा भी निर्धारित की गई है। वर्ष 2024 (02.02.2026 तक) से KRPH पर प्राप्त दावों की जानकारी, दावों के निपटान में देरी, दावों के निपटान में असहमति और दावों के निपटान में विसंगतियों से संबंधित शिकायतों का राज्यवार विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है। आज तक, इनमें से 20,06,213 शिकायतों का समाधान KRPH पर किया जा चुका है।

(ख): फसल क्षति एवं नुकसान के निष्पक्ष आकलन और पारदर्शिता हेतु निम्नलिखित प्रौद्योगिकियाँ भी हाल ही में वर्ष 2023-24 से इस स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वित की गई हैं:

i. **YES-TECH (प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन प्रणाली)** के तहत निष्पक्ष और सटीक फसल उपज आकलन सुनिश्चित करने के साथ-साथ उपज आकलन में सहायता प्राप्त करने के लिए रिमोट सेंसिंग आधारित उपज आकलन की ओर क्रमिक रूप से अग्रसर होना। यह पहल धान और गेहूं की फसलों के लिए खरीफ 2023 से शुरू की गई है, जिसमें उपज आकलन में YES-TECH से प्राप्त उपज को अनिवार्य रूप से 30% वेटेज दिया जाएगा। खरीफ 2024 से सोयाबीन की फसल को भी इसमें शामिल किया गया है।

ii. **WINDS (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा प्रणाली)** के तहत ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर अति-स्थानीय मौसम डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा नेटवर्क से 5 गुना अधिक स्वचालित मौसम स्टेशनों (AWS) और स्वचालित वर्षामापी यंत्र (ARG) का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। यह डेटा भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के समन्वय से अंतरसंचालनीयता और डेटा साझाकरण के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस

में फीड किया जाएगा। WINDS न केवल YES-TECH के लिए डेटा प्रदान करता है, बल्कि प्रभावी सूखा और आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए भी डेटा उपलब्ध कराता है।

(ग): फसल बीमा स्कीमों की समीक्षा/संशोधन/युक्तिकरण/सुधार एक सतत प्रक्रिया है और स्टेकहोल्डर्स /अध्ययनों के सुझावों/प्रतिनिधित्वों/सिफारिशों पर समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं। प्राप्त अनुभव, विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के विचारों और बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और स्कीम को अधिक किसान-हितैषी बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने समय-समय पर PMFBY के प्रचालन दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कीम के तहत पात्र लाभ किसानों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचें।

विभाग सभी स्टेकहोल्डर्स के साप्ताहिक वीडियो सम्मेलनों, व्यक्तिगत बैठकों और राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से दावों के समय पर निपटान सहित बीमा कंपनियों के कार्यों की नियमित निगरानी कर रहा है।

(घ): सरकार ने इस स्कीम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता लाने और दावों का निपटान समय पर सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

- सरकार ने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के विकास का कार्य शुरू किया है, जो सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना प्रसार और सेवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक एकल डेटा स्रोत के रूप में कार्य करेगा। इसमें किसानों का सीधा ऑनलाइन नामांकन, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसान के विवरण को अपलोड करना/प्राप्त करना और दावा की गई राशि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा किसानों के व्यक्तिगत बैंक खाते में अंतरित करना शामिल है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु **'डिजीक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल को कार्यान्वित किया गया है। इसमें **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है, ताकि खरीफ 2024 से सभी दावों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटान किया जा सके। यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता, तो NCIP के माध्यम से 12% का जुर्माना स्वतः गणना करके लगाया जाएगा।
- किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे प्राप्त करने में सहायता के लिए, प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से अलग कर दिया गया है।
- स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपने प्रीमियम हिस्से को अग्रिम रूप से जमा करने के लिए एस्क्रो खाता खोलना खरीफ 2025 सीजन से अनिवार्य कर दिया गया है।
- इसके अलावा, स्कीम के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए, उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोगों (CCE) डेटा को CCE-Agri ऐप के माध्यम से एकत्र करना और इसे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को सीसीई के संचालन की निगरानी करने की अनुमति देना, राज्य भूमि अभिलेखों को NCIP के साथ एकीकृत करना आदि जैसे विभिन्न कदम किसानों के दावों के समय पर निपटान में सुधार के लिए पहले ही उठाए जा चुके हैं।
- रबी 2024-25 से ट्रांच बेस्ड दावा भुगतान शुरू किया गया है।

अनुबंध

वर्ष 2024 से लेकर अब तक के KRPH में प्राप्त शिकायतों का राज्यवार विवरण
(दिनांक 02.02.2026 तक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दावा सूचना	दावा निपटान में देरी	दावा समझौते में असहमति	दावा निपटान में विसंगति	सकल कुल
आंध्र प्रदेश	5,636	3,170	270	180	9,256
असम	470	2,402	41	3	2,916
छत्तीसगढ	597	4,199	182	17	4,995
दिल्ली		7			7
हरियाणा	4,346	32,120	2,814	122	39,402
हिमाचल प्रदेश	69	506	25		600
जम्मू और कश्मीर	469	2,280	293	11	3,053
झारखंड	1,168	4,881	84	9	6,142
कर्नाटक	5	82	2		89
केरल	602	1,553	93	37	2,285
मध्य प्रदेश	6,248	48,132	4,647	168	59,195
महाराष्ट्र	1,82,764	11,53,342	1,35,695	5,752	14,77,553
मणिपुर		11			11
मेघालय	3	4	1		8
ओडिशा	4,993	23,207	1,256	147	29,603
पुदुचेरी	39	94	5	1	139
राजस्थान	29,726	2,23,640	10,477	640	2,64,483
तमिलनाडु	12,956	29,253	1,043	271	43,523
तेलंगाना	12	85	7		104
त्रिपुरा	3	17			20
उत्तर प्रदेश	7,027	39,969	4,624	172	51,792
उत्तराखंड	1,433	9,187	894	28	11,542
पश्चिम बंगाल		4			4
सकल कुल	**2,58,566**	**15,78,145**	**1,62,453**	**7,558**	**20,06,722**

******